

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था/2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती प्रेमलता सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोहेला (NIWAI), जिला टोंक का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाखड़ (JHADOL), जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3810/2019 श्रीमती प्रेमलता सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3810/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर अभ्यावेदन में उल्लेखित इच्छित स्थान पर पदस्थापन किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह सेवा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा की एक सामान्य घटना होती है एवं स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है एवं अपीलार्थी इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं कर सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि राज्य सेवा के किसी कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित किया जाये, यह नियोजक का परमाधिकार है।


उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती प्रेमलता सिंह, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

  
(हिमांशु गुप्ता)  
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/ प्रेमलता सिंह /3810/2019 दिनांक 26-12-19  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर/अजमेर संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक/उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्रीमती प्रेमलता सिंह सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)